

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1176/24 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 की पालना में डॉ. हरिराम मीणा, उप निदेशक का स्थानान्तरण/पदस्थापन उप अधीक्षक, जे के लोन अस्पताल, जयपुर के पद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरेना जयपुर द्वितीय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

डा. मीणा को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए-2/86 दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधान है कि "if there is no vacancy for granting DACP available, The post held by the candidate shall be converted into the post on which the candidate is to be promoted till he/she will hold that post". कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना की पालना में उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं
पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. अधीक्षक, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज.
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सेल

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7204954

Document certified by PREETI MATHUR
<adwecell.we@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Preeti Mathur
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :23-05-2024 12:41:57